4552
3/10/2024

शाखा...........आ.क्र...........

OCT 2024
कलेक्टर, हरदा

दूरभाष : (O) 250000 (R) 250500
फैक्स : 07574 - 254262
पत्र क्र. :6067/स्थापना दि.
दिनांक : 3.10.2024

कार्यालय आयुक्त
नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम् (म.प्र.)

E-mail : commnarmadapuram@mp.gov.in

प्रति,

श्री कमलेश पाटीदार,
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद हरदा
जिला-हरदा ।

द्वारा- कलेक्टर जिला हरदा ।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक क्रमशः 12702 दिनांक 06.09.2024, क्रमांक 12711 दिनांक 08.09.2024 एवं क्रमांक 13166 दिनांक 18.09.2024 के माध्यम से आपके विरूद्ध प्रेषित अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रस्ताव के क्रम में आरोप पत्र, आरोप विवरण, अभिलेख एवं साक्ष्य सूची संलग्न प्रेषित है। तदानुसार आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 14 अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है :-

1. उपरोक्त कार्यवाही जिन आरोपों के आधार पर प्रस्तावित है, उनका आरोप पत्र एवं आरोप विवरण, तथा जिनके आधार पर सिद्ध किया जाना है, उनका विवरण अभिलेख एवं साक्ष्य सूची में अंकित किया गया है।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है, कि आप इस ज्ञापन की प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपने बचाव में लिखित रूप में अपना उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें कि इस प्रकरण में क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है, आप यदि अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहें तो दस्तावेजो की एवं मौखिक साक्ष्य की सूची भी अपने लिखित प्रतिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

3. सूचित किया जाता है कि यह जांच उन्ही आरोप पत्रों के संबंध में संस्थित की जायेगी जिन्हे स्वीकार नहीं किया जाता है। अतएव प्रत्येक आरोप पत्र को स्पष्टतः स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिये।

4. आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि आप आरोपो से संबंधित अभिलेख देखना चाहते है तो आप कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा के कार्यालय में नियत समयावधि में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है ।

5. आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस ज्ञापन के क्रमांक 2 में अंकित की गई अवधि के अंदर यदि आपकी ओर से अपने बचाव में लिखित प्रतिवेदन पत्र (उत्तर) प्रस्तुत नहीं किया जाता है,

तो यह मानकर कि अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं और उनके संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाई जाकर आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

6. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 21 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई भी शासकीय सेवक अपने हित में उसकी सेवा के मामले में किसी उच्च प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक या बाह्य प्रभाव नही डालेगा, यदि इन कार्यवाहियो में किसी भी मामले पर अपने पक्ष में कोई प्रतिनिधित्व की जानकारी है तथा यह आपकी प्रेरणा से किया गया है, नियम 21 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
संलग्न :- आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, अभिलेख सूची एवं साक्ष्य सूची ।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)
आयुक्त
नर्मदापुरम संभाग,नर्मदापुरम

पृ0क्र06068/स्थापना-विकास/2024 नर्मदापुरम दिनांक 03/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, विषयांकित आरोप पत्रादि संबंधित अधिकारी को तामील कराये जाकर पावती शीघ्र इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन विकास, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
नर्मदापुरम संभाग,नर्मदापुरम

आरोप पत्र

श्री कमलेश पाटीदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरदा जिला–हरदा के विरूद्ध अधिरोपित आरोप पत्र

आरोप कमाक–1

आपके द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के निवास स्थल को व्यवसायीकरण के उद्देश्य से शॉपिंग काम्पलेक्स बिना किसी अनुमति के बनाया जा रहा है । राजस्व विभाग के नजूल खसरा अनुसार वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का निवास नजूल शीट कमांक 8 डी के प्लाट 4 रकवा 240.50 वर्ग मीटर पर स्थित है । उक्त प्लाट मकान मद में दर्ज है । जबकि नगर पालिका द्वारा उक्त भूमि का प्रयोजन का परिवर्तन कर व्यवसायिक कर दिया गया है।

आरोप कमाक–2

आपके द्वारा प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाली साफ–सफाई की सामग्री को बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक दाम पर कय किया गया है ।

आरोप कमाक–3

कलेक्टर हरदा द्वारा नगर भ्रमण के दौरान शहर हरदा में साफ–सफाई उद्यानों के अनुरक्षण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, आवारा पशुओं की समस्या के संबंध में निर्देशित किए जाने के उपरांत भी निर्देशों का पालन नहीं किया गया ।

आरोप कमाक–4

जिला हरदा अंतर्गत शहर के कॉजी हाउस का सोशल मीडिया पर वीडियों वायरल होने पर कलेक्टर हरदा द्वारा कॉजी हाउस की जांच कराई जाने पर पाया गया कि मोके पर कॉजी हाउस प्रभारी श्री उमेश चंदेवा द्वारा बताया गया कि 02 गोवंश श्री संतोष राठौर निवासी ग्राम कुकुरावद को पालने के लिए दिये गये थें जिसकी रसीद काटी गई है । मौके पर कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की गई । आपके द्वारा बताया गया कि गोवंश को पालने के लिए देने को कोई नियम नगर पालिका में नही है, ना ही कोई नियम के प्रावधान मोके पर उपलब्ध कराये गये आपके द्वारा नियम निर्देशों के विपरीत होकर मनमाने तरीके से कार्य किया गया जिसके परिणामस्वरूप कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति निर्मित हुई ।

आरोप कमाक–5

दिनांक 09.03.2024 को शहर हरदा अंतर्गत पिलियाखाल में प्रधानमंत्री आवास के लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें आपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को आंमत्रित नहीं किया जाकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है ।

आरोप कमाक–6

आपके द्वारा जिला हरदा में दिनांक 17.09.2024 को पेढीघाट हरदा में गणेश विसर्जन हेतु नगर पालिका हरदा के द्वारा दो विसर्जन कुण्ड बनाये गये थे । जिसमें से बडी प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु बनाये गये कुण्ड में सांय 05 बजे अचानक तेज बारिश होने से आस–पास की नालियों का गंदा पानी कुण्ड के पानी में मिल गया, बनाये गये विसर्जन कुण्ड का पानी दूषित होने से आमजन द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं मूर्तिया कुण्ड मे विसर्जन करने से इंकार किया गया । मूर्ति विसर्जन स्थल पर मूर्तियो के विसर्जन की सूचारू व्यवस्था, माईक व्यवस्था, वाटरप्रुफ टेंक एंव अधिकारियो के बैठक हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

आपके उक्त कृत्य अपने पदीय, कर्तव्यो के निर्वहन, कर्तव्य परायणता व संनिष्ठा के विपरीत होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 उप नियम (एक) (दो) एवं (तीन) का उल्लंघन है, जो म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दण्डनीय है ।

आयुक्त
नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम

श्री कमलेश पाटीदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरदा जिला–हरदा

के विरूद्ध अधिरोपित आरोप विवरण पत्र

आरोप विवरण कमाक–1

यह कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के निवास स्थल को व्यवसायीकरण के उद्देश्य से शॉपिंग काम्पलेक्स बिना किसी अनुमति के बनाया जा रहा है । राजस्व विभाग के नजूल खसरा अनुसार वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का निवास नजूल शीट कमांक 8 डी के प्लाट 4 रकवा 240.50 वर्ग मीटर पर स्थित है, उक्त प्लाट मकान मद में दर्ज है । जबकि नगर पालिका द्वारा उक्त भूमि का प्रयोजन का परिवर्तन कर व्यवसायिक कर दिया गया है। राज्य शासन किसी स्थानीय निकाय को भूमि आवंटित करते समय बिना अनुमति के प्रयोजन परिवर्तन न करने की शर्त अधिरोपित करता है किन्तु आपके द्वारा समक्ष अनुमति के बिना ही उक्त भूमि का रहवासी से व्यवसायिक परिवर्तन किया गया।जबकि नगरीय क्षेत्र में निर्माण विकास योजना के अनुरूप होना प्रावधानित है । मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 भूमि का प्रयोजन परिवर्तन किये जाने पर उस भूमि पर निर्धारित प्रब्याजी एवं भूमि भाटक पुनर्निधारित प्रावधानित है, जिसका पालन आपके द्वारा नहीं किया गया ।

आरोप विवरण कमाक–2

आपके द्वारा नगर पालिका हरदा में प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाने वाली साफ–सफाई की सामग्री को बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक दाम पर कय किया गया है । जिसका तुलनात्मक पत्रक निम्नानुसार है :–

क	सामग्री	निकाय द्वारा कय मूल्य	कय मात्रा	कोटेशन अनुसार न्यूनतम मूल्य
1	फिनाईल	38.80 रूपये लीटर	2538लीटर	28 रूपये लीटर
2	टॉयलेट क्लिनर	30 रूपये लीटर	3000लीटर	18 रूपये लीटर

आरोप विवरण कमाक–3

कलेक्टर हरदा द्वारा नगर भ्रमण के दौरान शहर हरदा में साफ–सफाई उद्यानों के अनुरक्षण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, आवारा पशुओं की समस्या के संबंध में निर्देशित किए जाने के उपरांत भी आपकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ है तथा पेयजल की उपलब्धता के संबंध में लगातार शिकायते प्राप्त होने पर आम जनता में आपके विरूद्ध असंतोष व्याप्त है ।

आरोप विवरण कमाक–4

जिला हरदा अंतर्गत शहर के कॉजी हाउस का सोशल मीडिया पर वीडियों वायरल होने पर कलेक्टर हरदा द्वारा कॉजी हाउस की जांच कराई जाने पर पाया गया कि मौके पर कॉजी हाउस प्रभारी श्री उमेश चंदेवा द्वारा बताया गया कि 02 गोवंश श्री संतोष राठौर निवासी ग्राम कुकुरावद को पालने के लिए दिये गये थें जिसकी रसीद काटी गई है । मौके पर कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की गई । श्री उमेश चंदेवा के कथन मौके पर अंकित किये गये जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि श्री संतोष राठौर निवासी ग्राम कुकरावाद को आधार कार्ड लेकर 02 गोवंश पालने के लिये दिये गये थे, जिसकी रसीद भी काटी गई है जो कि कॉजी हाउस में ही है। आपके द्वारा बताया गया कि गोवंश को पालने के लिये देने का कोई नियम नगरपालिका में नही है, न ही उन्होंने कोई नियम या प्रावधान मौके पर उपलब्ध कराये । वायरल वीडियों में मौजूद दो गोवंश वीडियों बनाने के उपरांत मौके पर कॉजी हाउस में ही पाये गये, बाद में व्हाट्सएप पर श्री उमेश चंदेवा द्वारा दिनांक 07.09.2024 की मवेशी जुर्माना की रसीद श्री संतोष पिता शिवराम राठौर के नाम से राशि 4,000/– की प्रस्तुत की गई, श्री उमेश चंदेवा के द्वारा व्हाट्सएप पर श्री संतोष राठौर का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में हल्का पटवारी ग्राम कुकरावद से जानकारी प्राप्त की गई जिसमें पाया गया कि उक्त व्यक्ति दिव्यांग है एवं चल फिर नहीं सकता है । बिना किसी नियम व निर्देश के उक्त गौवंश पालने के लिए रसीद काटकर किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना पाया गया, किन्तु प्रस्तुत रसीद में 04 नग केडे का मवेशी जुर्माना लेना पाया गया । इस प्रकार आपके द्वारा नियम निर्देशों के विपरीत होकर मनमाने तरीके से कार्य किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति निर्मित हुयी।

आरोप विवरण कमाक–5

आपके द्वारा दिनांक 09.03.2024 को शहर हरदा के अंतर्गत पिलियाखाल में प्रधानमंत्री आवास के लोकार्पण कार्यकम आयोजित किया गया था जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक विधानसभा क्षैत्र हरदा को आंमत्रित नहीं किया जाकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, जबकि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक 19–76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 11 दिसम्बर 2019 के अनुसार माननीय विधायको को शासकीय कार्यकमों में आमत्रित किये जाने के निर्देश है।

आरोप विवरण कमाक–6

आपके द्वारा जिला हरदा में दिनांक 17.09.2024 को पेढीघाट हरदा में गणेश विसर्जन हेतु नगर पालिका हरदा के द्वारा दो विसर्जन कुण्ड बनाये गये थे । जिसमें से बडी प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु बनाये गये कुण्ड में सांय 05 बजे अचानक तेज बारिश होने से आस–पास की नालियों का गंदा पानी कुण्ड के पानी में मिल गया, बनाये गये विसर्जन कुण्ड का पानी दूषित होने से आमजन द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं मूर्तिया कुण्ड मे विसर्जन करने से इंकार किया गया । मूर्ति विसर्जन स्थल पर अत्याधिक संख्या में जनसमुदाय एकत्रित हो गये, तत्समय विद्युत प्रवाह बंद हो गया तथा मौके पर जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण आमजन को अधेरे में ही मूर्तियो का विसर्जन करना पडा । मूर्ति विसर्जन स्थल पर मूर्तियो के विसर्जन की सूचारू व्यवस्था, माईक व्यवस्था, वाटरप्रुफ टेंक एंव अधिकारियो के बैठक हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

आपके उक्त कृत्य अपने पदीय कर्तव्यो के निर्वहन, कर्तव्य परायणता व संनिष्ठा के विपरीत होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 उप नियम (एक) (दो) एवं (तीन) का उल्लंघन है, जो म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दण्डनीय है ।

आयुक्त
नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम

दस्तावेजो की सूची

श्री कमलेश पाटीदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरदा जिला–हरदा के विरूद्ध आरोपो के दस्तावेजो की सूची

1. संयुक्त जांचदल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 03.07.2024 ।
2. तहसीलदार हरदा का पत्र कमांक 1177/रीडर/2024 दिनांक 08.09.2024 ।
3. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम का पत्र कमांक 1807/शिकायत/2024 दिनांक 19.03.2024
4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक 19–76/2007/एक/4 भोपाल दिनांक 11 दिसम्बर 2019 ।
5. कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा का पत्र कमांक 9456/स्थापना/2024 दिनांक 03.07.2024 ।
6. कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा का पत्र कमांक 10365/स्थापना/2024 दिनांक 19.07.2024 ।
7. कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा का पत्र कमांक 13166/स्थापना/2024 दिनांक 18.09.2024 ।

आयुक्त
नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम

साक्ष्य सूची

श्री कमलेश पाटीदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद हरदा जिला–हरदा के विरूद्ध के विरूद्ध गवाहो की सूची

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा ।
2. तहसीलदार हरदा ।
3. राजस्व निरीक्षक नगर पालिका हरदा ।
4. श्री उमेश चंदेवा भृत्य कार्यालय मुख्य नगर पालिका परिषद हरदा ।

आयुक्त
नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम